7/5/25 पत्रावली पेश हुई। प्रा० पत्र धारा 251 ए सीमा निस्तारण किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नेवा के कार्य होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी, करौली (RAS)

मु0न0:–8 / 24 तारीख रजु–7.5.24

उनवान

1. अशोक कुमार पुत्र ललित कुमार उम्र 45 साल
2. रूमाली पत्नि ललित कुमार उम्र 60 साल
3. रवि पुत्र ललित कुमार उम्र 25 साल
4. राजकुमार पुत्र ललित कुमार उम्र 30 साल
5. विपिन कुमार पुत्र ललित कुमार उम्र 22 साल
6. बलराज पुत्र पूरन उम्र 55 साल
7. हंसराज पुत्र पूरन उम्र 53 साल
8. उगन्ती पुत्री पूरन उम्र 55 साल
9. राजन्ती पत्नि पूरन उम्र 45 साल
10. लीलाधर पुत्र पूरन उम्र 51 साल
11. हरिचरण पुत्र पूरन उम्र 60 साल
12. गंगाचरण पुत्र मानिक उम्र 55 साल
13. मदनमोहन पुत्र गुलाब उम्र 75 साल
14. सतीश कुमार पुत्र स्व0 रमेश उम्र 46 साल

जातियान–चतुर्वेदी निवासीयान–कीरतपुरा तहसील करौली जिला करौली

---प्रार्थीगण

बनाम

1. किरोडीलाल पुत्र रमला उम्र 52 साल
2. भगवत पुत्र रमला उम्र 48 साल
3. ममता पुत्री रमला उम्र 45 साल
4. चतुर्भुज पुत्र औकारया उम्र 65 साल
5. मनोज पुत्र औकारया उम्र 58 साल
6. हरिवल्लभ पुत्र औकारया उम्र 67 साल
7. रामदास पुत्र मुरारी उम्र 38 साल
8. खिल्ली पत्नि मुरारी उम्र 70 साल
9. भगवान दास पुत्र मुरारी उम्र 35 साल

जातियान चतुर्वेदी निवासीयान सायपुर तह0 व जिला करौली (राज0)

10. जगन्नाथ पुत्र गुलाब उम्र 77 साल जाति चतुर्वेदी निवासीयान सायपुर (मृतक)

10/1. लक्ष्मणप्रसाद } पुत्रान जगन्नाथ
10/2. संतोष }
10/3. रामरती पुत्र जगन्नाथ
10/4. जमुना देवी पत्नि स्व0 जगन्नाथ

} जातियान–चतुर्वेदी निवासीयान सायपुर तह0 व जिला करौली (राज0)

---अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

--::प्रार्थना पत्र तहत धारा 251 आर टी एक्ट::--

--::निर्णय::--

दिनांकः- 17/4/26

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड में हम प्रार्थीयान की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 222 रकवा 0.7587 हैक्टेयर जो कि ग्राम कीरतपुरा पटवार हल्का सायपुर तहसील करौली में स्थित है। उक्त आराजी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बारानी भूमि के रूप में दर्ज है तथा प्रार्थीगण उक्त आराजी भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है। जमाबंदी संवत् 2073-2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण अपनी आराजी कृषि भूमि पर कृषि कार्य कलापो के लिये आने जाने हेतु खसरा नंबर 225 रकवा 0.4426 हैक्टेयर किस्म बारानी ग्राम कीरतपुरा के रूप में दर्ज है में से अपनी भूमि पर आते जाते हैं तथा उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता आराजी खसरा नंबर 222 तक जाने के लिये अस्तित्व में नही हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान रास्ता जो कि खसरा नंबर 225 में से है विगत 50 वर्षों से हम प्रार्थीयान द्वारा रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग किया जा रहा है अन्य कोई दीगर रास्ता माजूद नही है। इसलिये हम प्रार्थीगण द्वारा निर्धारित तौर पर रास्ता भूमि को हमे स्वीकृत किये जाने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 251ए आर0टी0एक्ट के तहत है। रमेश पुत्र गुलाब प्रार्थी नं0 14 के पिता का स्वर्गवास दिनांक 19.07.2022 को हो चुका है जिसका एकमात्र वारिश प्रार्थी नं0 14 है। गोमती बाई पत्नि रमला का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान अप्रार्थी सं0 1 ता 3 है एवं भगवती पत्नि औंकारया का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान अप्रार्थी सं0 4 ता 6 है। आपके उपखण्ड में हम प्रार्थीयान की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 222 रकवा 0.7587 हैक्टेयर ग्राम कीरतपुरा पटवर हल्का सायपुर तहसील करौली में स्थित है। उक्त आराजी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बारानी-2 भूमि के रूप में दर्ज है। प्रार्थीगण अपनी आराजी कृषि भूमि पर कृषि कार्य कलापो के लिये आने जाने हेतु आवागमन वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉली, कृषि कार्य कलापो के लिये आने जाने हेतु आवागमन वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉली, कृषि कार्य हेतु लाने ले जाने हेतु खसरा नंबर 225 रकवा 0.4426 हैक्टेयर किस्म बारानी-2 के रूप में दर्ज है में से अपनी भूमि पर आते जाते है तथा उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता आराजी खसरा 222 तक आने-जाने के लिये अस्तित्व में नही है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान रास्ता जो कि खसरा नंबर 225 में से है विगत 50 वर्षों से उक्त खसरा नंबर 222 के लिये हम प्रार्थीयान द्वारा रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग किया जा रहा है अन्य कोई दीगर रास्ता मौजूद नही है और प्रार्थीगण की भूमि के लिये जाने जाने के लिये एकमात्र रास्ता आराजी खसरा नंबर 225 के अलावा दूसरा नही है। उक्त रास्ते को ही हमेशा से उपयोग-उपभोग में आवागमन के लिये व वाहन टैक्ट्रर ट्रॉली कृषि कार्य के लिए हम प्रार्थीगण उपयोग में लेते चले आ रहे है। जिसकी स्वीकृति हम प्रार्थीगण के पक्ष में न्यायालय द्वारा दिया जाना न्यायोचित है। हम

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

प्रार्थीगण रास्ता भूमि की उचित दर से राशि नियमानुसार अप्रार्थीगण को अदा करने को तैयार है। अंत में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

दावा सायलान दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान के जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण नंबर 1 ता 9 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नंबर 222 के प्रार्थीगण के खातेदारान होने का इल्म विपक्षीगण को नही है। क्यूंकि कोई नकल दरख्वास्त हाजा के साथ अप्रार्थीगण को नही दी गई है। खसरा नंबर 225 में से कभी भी रास्ता प्रार्थीगण का नही रहा है। ना ही इस समय है पचासों वर्षों से रास्ते की बात मनगढन्त लिखी है। वैकल्पिक रास्ता ने होने की बात भी गलत है धारा 251 के प्रावधान इस तरह की दरख्वास्त पर लागू नही होते है। जिनके नाम व पते व इन्द्राजात को सावित करना प्रार्थीगण के जिम्मे है। मद नंबर 5 में लिखा 15 फीट चौडा रास्ता निकालना की बात गलत लिखी है। गैर जरूरी तौर पर प्रार्थीगण हमारी भूमि में क्लेम कर रहे हैं। हमारी भूमि खसरा नंबर 225 दो फसली है। तथा फसल को बरबाद करने के लिये इसी उद्वेश्य से दर0 हाजा पेश की है जो काबिल खारिज है। वैकल्पिक रास्ता उत्तर–पूर्व से मौजूद है। प्रार्थीगण ने मौके के हालात को सही तौर पर दर्ज दरख्वास्त नही किया है। वास्तविक स्थिति विशेष विवरण में दर्ज की जा रही है। जो काबिले खारिज है। हम विपक्षीगण जवाबदारान के राईट टू प्रापर्टी के संवैधानिक अधिकारो को नष्ट करने के लिये दर0 हाजा पेश की हैं। जो काविल खारिज हैं। प्रार्थीगण की भूमि का रास्ता हम अप्रार्थीगण की तरह नही है। बल्कि मदनमोहन के खसरा नंबर 222 में स्थित मकान की पीठ हमारी खसरा नंबर 225 की तरफ है। तथा पीठ से पूरा खसरा नंबर 225 की साइड कंवर हो जाता है तथा प्रार्थीगण हमेशा से मेड से होकर कालीचरण के खेत की डोल मेड से होकर डामर रोड सायपुर से करौली से जार है तथा दूसरा रास्ता रोड सरकारी स्कूल कीरतपुरा की तरफ से सी.सी.रोड 12 फीट का मौजूद है। नक्शा संलग्न जवाब दर0 है, जो जवाब का जुज है। जिसमें मार्क ए,बी,सी व आर स सही स्थिति को दर्शाया है। जगन्नाथ अप्रार्थी नं0 10 मर चुका है मेरे के खिलाफ दर0 हाजा चलने योग्य नही है। तथा काबिज खारिज है। लैण्डहोल्डर तहसीलदार साहब को फरीक ना बनाने के कारण दर0 हाजा नाकाविले रफतार है। और खारिज होने योग्य है। कोई कॉज ऑफ ऐक्शन नही लिखा है तथा मियाद का बिन्दू भी नही है तथा दर0 हाजा खारिज होने योग्य हैं। अंत में प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण नंबर 10/2 द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नंबर 22 के प्रार्थीगण खाते दारान होने का इल्म जबादार विपक्षी को नहीं है क्यूकि कोई नकल दरख्यास्त हाजा के साथ जबावदार विपक्षी को नहीं दी गई है। खसरा नंबर 225 में से कभी भी रास्ता प्रार्थीगण का नहीं रहा है ना ही इ समय है पचासों वर्ष से रास्ते की बात मनगढंत लिखी है। वैकल्पिक रास्ता ना होने की बात भी गलत है धारा 251 के प्रावधान इस तरह की दरख्वास्त पर लागू नहीं होते है। हमारी भूमि खसरा नंबर 225 दो फसली है तथा

फसलों को बरबाद करने के लिये इसी आशय से दर0 हाजा पेश की है जो काबिल खारिज है। वैकल्पिक रास्ता पूर्व से मौजूद है प्रार्थीगण ने मौके के आलात को सही तौर पर दर्ज दरखवास्त नहीं किया है। विपक्षीगण के राईट्ट प्रोपर्टी के सवैधानिक अधिकारी को नष्ट करने के लिये दर हाजा पेश की है जो काबिल खारिज है। प्रार्थीगण की भूमि का रास्ता विपक्षी नंबर 1 लगायत 9 व मुझ जवावदार संतोष के पिता जगन्नाथ पुत्र गुलाब की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 225 की तरफ नहीं है बल्कि मदनमोहन के खसरा नंबर 222 में स्थित मकान की पीठ हमारे खसरा नंबर 225 की तरफ है तथा पीठ से पूरा खसरा नंबर 225 की साईड कवल होकर जाता है तथा प्रार्थीगण हमेशा से मैड से होकर कालीचरण के खेत की डौल (मेड) से होकर डामर रोड सायपुर से करौली से जाकर तथा दूसरा रास्ता रोड सरकार स्कूल कीरतपुरा की तरफ से सी.सी. रोड 12 फीट का मौजूद है। मुझ जबावदार संतोष विपक्षीनंबर 10/2 के पिता विपक्षी नंबर 10 फौत हा चुके है। प्रार्थीगण ने मरे हुये के खिलाफ दर0 हाजा चलने योग्य नहीं है मैं जबावदार व लक्ष्मण प्रसाद पुत्र जगन्नाथ रामरति पुत्री जगन्नाथ, जमुनादेवी पत्नि स्व0 जगन्नाथ मृतक जगन्नाथ के वारिस है और विपक्षीगण व हम जगन्नाथ वारिसान की संयुक्त खातेदारी की भूमि में से प्रार्थीगण अनाधिकार तौर पर रास्ता लेना चाहते है। जिनका कोई हक व अधिकार नहीं है। अंत में प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तहसीलदार, करौली दिनांक 11.03.2026 व डीएलसी दर प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। प्रकरण में निम्न तीन बिन्दु विचारणीय है:–

1. रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है।
2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव।
3. नया मार्ग निकटतम/लघुत्तम रूट से हो।

वकील प्रार्थीयान का बहस में कथन है कि प्रार्थीयान को रास्ते की अति आवश्यकता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीयान की भूमि के आवागमन के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रार्थना पत्र में दर्ज रास्ते का उपयोग आवागमन के लिए करते चले आ रहे है। इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीयान स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत किया जावे।

बहस वकील प्रार्थीयान व अप्रार्थीयान एवं सरकार पैरोकर का मनन किया गया एवं उक्त उपर दर्ज तीनों बिन्दुओं के संबंध में तहसीलदार, करौली की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें उन्होंने प्रार्थीयान के पास चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है और नक्शा में दर्ज चाहा गया रास्ता निकटतम एवं लघुत्तम रूट से है और चाहे गये रास्ते की प्रार्थियान को अत्यधिक आवश्यकता है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

बंरग सुर्ख रास्ते 56 मीटर लम्बाई एवं चौडाई 4 मीटर जिसका कुल क्षेत्रफल 224 वर्ग मीटर है। जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 22176/–रूपये है एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा नजरी में दर्शित बरंग सुर्ख रास्ता की स्वीकृति दिया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थीयान स्वीकार किय जाने योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थियान विरूद्ध अप्रार्थीयान स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीयान को आराजी खसरा नंबर 222 रकबा 0.7587 है0 ग्राम कीरत पुरा पटवार हल्का सायपुर तहसील करौली में से प्रार्थीयान की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 222 तक प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न नक्शा बरंग सुर्ख रास्ता 56 मीटर लम्बा एवं चौडा 4 मीटर जिसका कुल क्षेत्रफल 224 वर्ग मीटर मुताबिक तहसीलदार, करौली की रिपोर्ट दिनांक 11.03.2026 के अनुसार स्वीकृत किया जाता है। बशर्ते प्रार्थीयान रास्ता की भूमि की प्रतिकर राशि 22176/– रूपये वर्तमान डीएलसी दर से तीन गुना राशि 66528/– रूपये बनती है। खातेदारान के नाम हिस्सानुसार डी.डी. तैयार कराकर तहसीलदार, करौली को जमा कराने पर तहसीलदार, करौली उक्त राशि का भुगतान अप्रार्थीयान को कर रास्ता का राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी व नक्शा शीट में अंकन 07 दिवस में करें। तहसीलदार, करौली की रिपोर्ट दिनांक 11.03.2026 निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ को तहसीलदार, करौली को भिजवायी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक ....17.11.26... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)